



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, रायपुर

शुद्धिपत्र - भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर को कॉल आधार पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर देने वाले प्रतिष्ठित फर्म /टैक्सी ऑपरेटर एजेंसियों/कंपनियों को सूचीबद्ध करने हेतु ई-निविदा

ई-निविदा संख्या- [RBI/RAIPUR REGIONAL OFFICE/ HRMD/1/24-25/ET/196](#)

उपरोक्त निविदा 10 जुलाई, 2024 को RBI वेबसाइट (www.rbi.org.in) और MSTC वेबसाइट (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn/>) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। इस संबंध में, निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी किया जाता है।

| क्र. | खंड सं. | खंड विवरण | संशोधित खंड |
|------|--|--|---|
| 1. | खंड I का पैरा (xii) - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के लिए अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ (निविदा दस्तावेज़ का पृष्ठ क्रमांक 13) | "ईएमडी के प्रेषण का प्रमाण, जहां भी लागू हो। उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। एमएसई को उद्योग पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) की प्रति जमा करना आवश्यक है।" | ईएमडी के प्रेषण का प्रमाण। |
| 2. | खंड I का पैरा 4(i) - बयाना राशि जमा (ईएमडी)/बोली सुरक्षा (निविदा दस्तावेज़ का पृष्ठ क्रमांक 15) | बोलीदाताओं को 19 अगस्त, 2024 को अपराह्न 01:00 बजे या उससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर के खाते में एनईएफटी द्वारा ₹55,000/- की ईएमडी जमा करनी होगी। "उद्योग पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म और | बोलीदाताओं को 19 अगस्त 2024 को अपराह्न 01:00 बजे या उससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर के खाते में एनईएफटी द्वारा ₹55,000/- की |



| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | | लघु उद्यमों (एमएसई) को, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है।" | ईएमडी जमा करनी होगी। |
|--|--|--|----------------------|

कृपया ध्यान दें:

- i) बोली दस्तावेज के शेष नियम एवं शर्तें तथा विनिर्देशन पूर्ववत् बने रहेंगे।
- ii) उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीकर्ताओं की जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं।

महाप्रबंधक (प्रभारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर